(501)

[illegible]स्थान सरकार,
[illegible]य विकास विभाग

क्रमांक प.3(252)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक: 19 DEC 2011

आदेश

टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टेयर से कम) के बिन्दु संख्या 5.03 (iii) के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के 2 हैक्टेयर से अधिक भूखण्ड में से 5 प्रतिशत क्षेत्रफल का स्वतंत्र भूखण्ड सुविधा क्षेत्र हेतु स्थानीय निकाय को समर्पित किया जाना है। उक्त समर्पित भूमि सार्वजनिक सुविधा के प्रयोजनार्थ स्थानीय निकाय में निहित होगी। इस कारण उक्त भूमि का रूपान्तरण शुल्क व लीज राशि वसूल करने का कोई औचित्य नहीं है।

सुविधा क्षेत्र हेतु जो भूमि छोड़ी जाती है उस भूमि की Inventry तैयार किया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास.....................(समस्त)
11. उप विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक/सांख्यिकी अधिकारी
12. रक्षित पत्रावली।

19/12/2011

शासन उप सचिव–तृतीय

Goyal Hemendra/UDH/Order/2011